

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित अपनी 196वीं ईएसआई कॉर्पोरेशन बैठक के दौरान **SPREE 2025 (पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना - नियोक्ता और कर्मचारी)** को मंजूरी दे दी है। यह बैठक माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई।

SPREE 2025 क्या है?

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा अनुमोदित **नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (SPREE) 2025**, ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के उद्देश्य से एक विशेष पहल है। यह योजना **1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025** तक सक्रिय रहेगी और इसमें अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों - जिसमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं - को बिना किसी निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग के पंजीकरण कराने का एकमुश्त अवसर मिलेगा।

SPREE 2025 के तहत:

- नियोक्ता अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से **डिजिटल रूप से पंजीकृत** कर सकते हैं।
- पंजीकरण को नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से **वैध माना जाएगा**।
- पंजीकरण से पहले की अवधियों के लिए **कोई अंशदान या लाभ लागू नहीं होगा**।
- पंजीकरण-पूर्व अवधि के लिए **कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी**।

यह योजना पूर्वव्यापी दंड के डर को दूर करके और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर **स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है**। SPREE से पहले, निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न करने पर कानूनी कार्रवाई और पिछली बकाया राशि की मांग हो सकती थी। SPREE 2025 इन बाधाओं को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य छूटे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

SPREE 2025 का शुभारंभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर और पूर्वव्यापी देनदारियों से मुक्ति प्रदान करके, यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिक कर्मचारी, विशेष रूप से संविदात्मक क्षेत्रों में, ईएसआई अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों तक पहुंच प्राप्त करें। ईएसआईसी अपनी पहुंच को मजबूत करने और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के अपने जनादेश को पूरा

करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत में एक कल्याण-केंद्रित श्रम पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - SPREE 2025

1. SPREE 2025 क्या है? SPREE (नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की एक विशेष पहल है, जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक नियोक्ताओं को अपनी फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों और सभी पात्र कर्मचारियों को पिछले अवधि के बकाए की मांग के बिना पंजीकृत करने का एकमुश्त अवसर प्रदान करती है।

2. इस योजना से कौन लाभ उठा सकता है?

- कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों या प्रतिष्ठानों (दुकानें, होटल और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और नगर निगमों के अनुबंध और आकस्मिक कर्मचारी) के नियोक्ता, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
- जिन नियोक्ताओं ने ईएसआई अधिनियम के तहत अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक श्रमिकों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को पंजीकृत नहीं किया है।

3. नियोक्ताओं को SPREE 2025 के तहत पंजीकरण क्यों कराना चाहिए?

- इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा पंजीकरण की घोषित तिथि से पहले की अवधियों के लिए पिछले रिकॉर्ड का कोई निरीक्षण या बकाए की मांग नहीं होगी।
- पिछली अवधि के लिए कोई अंशदान देयता नहीं होगी।
- अतीत में पंजीकरण न कराने के लिए किसी भी कार्रवाई के खिलाफ प्रतिरक्षा मिलेगी।

4. कर्मचारियों के लिए प्रमुख लाभ क्या है? एक बार पंजीकृत होने के बाद, कर्मचारियों (बीमित व्यक्ति) को अपने नियोक्ता के पंजीकरण की तारीख से निम्नलिखित तक पहुंच मिलती है:

- स्वयं और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा देखभाल।
- बीमारी, मातृत्व, चोट, या रोजगार के कारण मृत्यु के मामलों में नकद लाभ।
- ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षा, जो दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है।

5. SPREE 2025 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया क्या है? नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान को निम्नलिखित के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं:

- ईएसआईसी पोर्टल: <https://www.esic.gov.in>

- ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण संबंधी सहायता के लिए:
<https://portal.esic.gov.in/ESICInsurancePortal/EmployerEmployeeRegistrationthroughportal.pdf>
- श्रम सुविधा पोर्टल: (पंजीकरण के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं):
<https://registration.shramsuvridha.gov.in/user/register>
- एमसीए पोर्टल

6. SPREE 2025 के तहत कवरेज की तारीख क्या है?

- नियोक्ता का कवरेज इस योजना के तहत पंजीकरण के समय उनके द्वारा पंजीकरण की तारीख से शुरू होगा।
- कर्मचारी का कवरेज भी नियोक्ता द्वारा घोषित तारीख से होगा।
- इस योजना के तहत नियोक्ता के पंजीकरण की तारीख से पहले के अंशदान के कोई पुराने बकाया का दावा नहीं किया जाएगा और कोई पूर्वव्यापी लाभ लागू नहीं होगा।

7. क्या कोई निरीक्षण या जुर्माना होगा? नहीं। SPREE 2025 के तहत:

- कवरेज की तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- पिछली अवधि के कोई अंशदान की मांग नहीं की जाएगी।
- यह एक स्वैच्छिक, परेशानी-मुक्त योजना है।

8. SPREE 2025 राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन कैसे करता है? यह बढ़ावा देता है:

- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज।
- कारखानों और प्रतिष्ठानों (दुकानें, होटल और रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठान, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और नगर निगमों के अनुबंध और आकस्मिक कर्मचारी) में अस्थायी और आकस्मिक कार्यबल सहित सभी कर्मचारियों तक कवरेज का विस्तार।
- व्यवसाय करने में आसानी के लक्ष्य का समर्थन करता है।

सहायता चाहिए? सहायता या प्रश्नों के लिए, <https://www.esic.gov.in> पर जाएं या अपने निकटतम ईएसआईसी शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।